फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री रोशन लाल पिता लेहरू लाल जटिया निवासी सकरावास तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

— अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति0जिला कलक्टर राजसमन्द

— रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या** 55/**2018**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की ग
	दिनांक 14.12.2018 अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना प्राप्त नहीं होने से सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19 (1) में प्रथम अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई । प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का अवलोकन करने पर लो0सू0 अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द के यहा आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन पत्र की सूचना अन्य कार्यालय की होने से उनके द्वारा जरिये पत्रांक पत्रांकः—प.1 ( ) सू.अ.05/2018/831—32 दिनांक 12. 10.2018 सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 6(3)(1)(2) के तहत प्रबंधक/लोकेशन हेड हिन्दुस्तान जिंक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द को सूचना देने हेतु भिजवाई जाकर प्रार्थी/अपीलार्थी को भी प्रति दी गई जो अपील प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न है । अपील प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न आर0टी0आई0 आवेदन से चाही गई सूचना के संबंध में महाप्रबंधक (प्रशासन) हिन्दुस्तान जिंक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द जरिये पत्र दिनांक 30.10.2018 लोक सूचना अधिकारी अति0जिला कलक्टर राजसमन्द को पत्र प्रेषित करते हुए प्रार्थी/अपीलार्थी को भी प्रति देते हुए अपने पत्र से अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि " आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा नहीं दी जा सकती क्योकि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड एक प्राईवेट संस्थान है जो कि आरटीआई के दायरे में नहीं आती है।"	

न्यायालय जिला कल

उक्त अपील मे चाही गयी सूचना के संबंध में आवेदन पत्र जिला कलक्टर, राजसमन्द के कार्यालय में पेश किया था जिसे विधिवत विभाग में अंतरित किया गया और वही आवेदन खारिज किये जाने पर अपीलार्थी द्वारा अपील इसी कार्यालय मे प्रस्तुत कर दी गयी है।

प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय की नहीं होकर हिन्दुस्तान जिंक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द से संबंधित है । सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 2 (ज) (अनुच्छेद 6) के अनुसरण में हिन्दुस्तान जिंक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स तहसील रेलमगरा ने अपने पत्र दिनांक 30.10.2018 से स्पष्ट किया गया है कि हिन्दुस्तान जिंक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स एक प्राईवेट संस्थान है जो आर0टी0आई0 के दायरे में नहीं आती है के संबंध में सूचना दिलाया जाना सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के वर्णित प्रावधानों के अनुरूप समुचित नहीं है । अतः प्रथम अपील प्रार्थना पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सारहिन होने एवं इस कार्यालय के श्रवणाधिकार मे नहीं होना पाये जाने से खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)